एवं तिथि		बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–80/2020

अंचल अधिकारी, खगड़िया .....वादी

बनाम्

ब्रजेश नारायण सिंह.....प्रतिवादी

आदेश

16/3/21

प्रस्तुत वाद का अभिलेख अंचल अधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–568 दिनांक–05.02.2020 तथा उसके साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 38/19–20 के आदेशपत्रक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन दिनांक–17.12.19 के आलोक में संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में सन्निहित भूमि एवं जमाबंदी का विवरण निम्नवत है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वी0क0धुर	किस्म	जमाबंदी सं0	जमाबंदी रैयत
रहीमपुर	453	1	30–0–0	नदी गंडक	603	ब्रजेश नारायण सिंह
	453	1684	10–0–0	मनीढ़ाव		

आवेदक अंचल अधिकारी, खगड़िया के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–38/19–20 में दिनांक–30.12.19 को उल्लिखित है कि प्रश्नगत भूमि का किस्म नदी गंडक एवं मनीढ़ाव है तथा गैरमजरूआ आम जमीन है जिसकी जमाबंदी सं0 603 विपक्षी के नाम से गठित है। अतः आवेदक अंचल अधिकारी, खगड़िया ने जमाबंदी सं0 603 को रद्द करने की अनुशंसा की है। आवेदक की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपना मंतव्य दाखिल किये जिसमें उन्होंने अंचल अधिकारी, खगड़िया के उपरोक्त अनुशंसा को सम्पुष्ट करते हुए जमाबंदी सं0 603 को रद्द करने की प्रार्थना किये।

विपक्षी इस वाद में वकालतन उपस्थित हुए किन्तु वे अपना आपत्ति दाखिल नहीं किए अपितु उन्होंने 24.09.2020 को एक आवेदन दाखिल कर कथन किये कि मौजा–रहीमपुर तौजी नं0–624 खाता 453 खेसरा 1 रकवा 30 वीघा भू–हदबंदी वाद सं0 94/75–76 के आलोक में राजस्व पंजी के आधार पर रजिस्टर–II में कायम रैयती खाता 137, 138 की भूमि है इसलिये इसको मुक्त किया जाय। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी ने प्रश्नगत खेसरा एवं जमाबंदी के संबंध में अपना आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किये। विपक्षी की ओर से दाखिल

एवं तिथि		बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	दस्तावेजी साक्ष्य निम्नलिखित है :– 1. रजिस्टर–I की छायाप्रति। 2. जमाबंदी सं0–603 के अंतर्गत निर्गत रशीद की प्रति। 3. भू–हदबंदी सं0 94/75–76 में दिनांक–06.04.79 के आदेश की प्रति। 4. जमाबंदी कायम वाद सं0 7/14–15 में पारित आदेश दिनांक–12.05.14 की प्रति। उभय पक्षों के अभिकथन अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अंचल अधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–568 दिनांक–05.02.2020 के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन दिनांक–17.12.19 का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का किस्म नदी गंडक एवं मनीढ़ाव है तथा गैरमजरूआ आम भूमि है जिसका खंडन विपक्षी द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षी ने रजिस्टर-I की छायाप्रति दाखिल किया गया जो प्रमाणित प्रति नहीं है तथा न्यायालय के निदेश के बाबजुद विपक्षी रजिस्टर-I की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं किया। अतः उक्त दस्तावेज अविश्वसनीय है। विपक्षी की ओर से दाखिल भू–हदबंदी वाद सं0 94/75–76 में पारित आदेश दिनांक–06.04.1979 इस वाद की प्रश्नगत भूमि से संबंधित नहीं है। विपक्षी ने न तो इस संदर्भ में कोई अभिकथन किया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया जिससे स्पष्ट हो सके कि उन्हें प्रश्नत भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई। वास्तव में प्रश्नगत भूमि जो गैरमजरूआ आम भूमि है की जमाबंदी सं0 603 वर्ष 2014 में जमाबंदी कायम वाद सं0–7/14–15 में पारित आदेश के आलोक में गठित की गई। अभिलेख पर उपलब्ध जमाबंदी कायम वाद सं0 7/14–15 के आदेशफलक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, खगड़िया न तो प्रश्नगत भूमि के किस्म एवं प्रकृति पर कोई टिप्पणी की और ना ही प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किये। सार्वजनिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंचल अधिकारी को जमाबंदी सृजन का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में जमाबंदी कायम वाद सं0–7/14–15 में पारित आदेश स्वतः विधि के प्रावधान के प्रतिकूल सिद्ध होता है। अतः उक्त आदेश के आधार पर गठित जमाबंदी सं0 603 विधि के उल्लंघन में गठित की गयी। विपक्षी की ओर से जमाबंदी सं0 603 के अंतर्गत निर्गत रसीद सं0 00149313 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह रशीद एक ही बार में वर्ष 1954–55 से 2014–15 तक के लिए निर्गत किया गया है जो सिद्ध करता है कि प्रश्नगत भूमि जो गैरमजरूआ आम भूमि है जिसकी जमाबंदी का गठन अवैध रूप से वर्ष 2014 में किया गया है। अतः प्रस्तुत मामलें में बिहार भूमि दाखिल खारिज	

1 | 2 | 3

अधिनियम की धारा 9 आकर्षित होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा जमाबंदी सं0 603 को रद्द करने हेतु की गई अनुशंसा को सम्पुष्ट करते हुए मौजा–रहीमपुर में गठित जमाबंदी सं0 603 को खंडित किया जाता है। साथ ही इस जमाबंदी वाद सं0 07/14–15 में अनाधिकार आदेश पारित करने वाले तथा जमाबंदी गठित करने वाले अंचल अधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर प्रस्तुत करने का निदेश वर्त्तमान अंचल अधिकारी को दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

डी०पी०सं० 275 दिनांक 12.4.21

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेश का अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/4/21
अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।